राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– प. /मुसप्र/पंजी.पुनर्जीवन/2012/ 625 दिनांकः– 28.8.12

आदेश

विषयः– निरस्त पंजीकरण/आवंटन पुनर्जीवन के संबंध में।

मण्डल के पूर्व कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/699 दिनांक 06.08.2009 के द्वारा मण्डल की प्रशासनिक त्रुटि के कारण निरस्त हुए पंजीकरण बोर्ड के अनुमोदन से पुनर्जीवन किये जाने का प्रावधान किया गया था। उक्त आदेशों के अनुसार पंजीकरण पुनर्जीवन के संबंध मे प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, जिससे पंजीकरण बहाली में अनावश्यक देरी होती है।

अतः मण्डल के उक्त आदेश दिनांक 06.08.2009 के अधिक्रमण में दिनांक 16.08.2012 को बोर्ड की 216वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 216.30 में लिये गये निर्णयानुसार आदेशित किया जाता है कि निम्न कारणों से निरस्त किये गये पंजीकरण के पुनर्जीवन किये जाने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय अधिकृत होंगे :–

1. ऐसे प्रकरण जिनमें मांग पत्र के अनुसार आवेदक द्वारा राशि तो जमा करा दी, किन्तु जमा की गई राशि के चालान प्रस्तुत नहीं करने अथवा सूचना के अभाव में मण्डल द्वारा पंजीकरण/आवंटन निरस्त किये गये है।
2. मूल आवेदक की मृत्यु की स्थिति में राशि जमा ना होने के कारण पंजीकरण/आवंटन निरस्त किये गये है। मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आवेदक के उत्तराधिकारियों द्वारा मूल आवेदक की मृत्यु तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक में आवेदन किए जाने के बावजूद भी आवेदक के विधिमान्य उत्तराधिकारियों के पक्ष मे पंजीकरण/आवंटन पुनर्जीवन पर विचार नही किया गया हों।
3. मण्डल का मांग पत्र जारी होने के पश्चात् आवेदक के बैंक से ऋण स्वीकृति में देरी होने के कारण मांग राशि जमा न होने पर निर्धारित अवधि के अतिरिक्त 6 माह की अवधि गुजरने से पूर्व ही पंजीकरण/आवंटन निरस्त कर दिये गये हों।
4. ऐसे प्रकरण जिनमें मांग राशि जमा कराने हेतु दिये गये पूर्व ग्रहण राशि के पत्र/आवंटन पत्र/नोटिस बिना तामील ही लौट आए हों तथा जो पत्रावलियों में भी पत्रित हों तथा समाचार पत्रों में प्रकाशन के बिना ही पंजीकरण/आवंटन निरस्त किये गये हों।
5. ऐसे प्रकरण जिनमें के.वाई.सी. की सूचना निर्धारित समायावधि में प्रस्तुत कर दी गई हो किन्तु पूर्व में इसी आधार पर उनका पंजीकरण/आवंटन निरस्त कर दिया गया हों।
6. उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे प्रकरण जो उक्त परिस्थितियों से तो भिन्न है किन्तु जिनके लिए आवेदक अथवा आवंटी को जिम्मेदार नही माना जा सकता है, उनमें पंजीकरण/आवंटन निरस्त किये गये हों।

...2...

D/PASir

216th Board meeting dt. 16.08.2012

पुनर्जिवित प्रक्रिया निम्न बिन्दु अनुसार होगी:–

1. जिन प्रकरणों में पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण के पश्चात् रिफण्ड राशि आवेदक को लौटाई जा चुकी है और आवेदक ने राशि को स्वीकार कर लिया है तो ऐसे प्रकरणों में पंजीयन/आवंटन पुनर्जीवन योग्य नही होगें।
2. पूर्व में निरस्त पंजीकरण/आवंटन पुर्नजीवन हेतु, आवेदक को दिनांक 01.09.2012 से 31.12.2012 तक तथा हालही में निरस्त पंजीकरण/आवंटन के पुर्नजीवन हेतु निरस्तीकरण की तिथि से 4 माह की अवधि में ही प्रार्थना पत्र (निर्धारित प्रारूप 'क' में) संबंधित उप आवासन आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा। उक्त निर्धारित समय के बाद प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।
3. पंजीकरण/आवंटन पुर्नजीवन हेतु आवेदक को प्रार्थना पत्र (निर्धारित प्रारूप 'क') के साथ एक 10/–रू का नोटरी/कार्यालय मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप 'ख' में) देना होगा कि द्वारा आवेदित प्रार्थना पत्र मूल आवेदक/मूल आवेदक की मृत्यु की स्थिति में नांमित अथवा उत्तराधिकारी द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है तथा आवेदन पत्र में सभी तथ्य पूर्ण रूप से सही व सत्य है। तथ्य छिपाये जाने की स्थिति में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही हेतु आवेदनकर्ता जिम्मेदार होगा।
4. पंजीकरण/आवंटन पुनर्जीवन हेतु प्रार्थना पत्र स्वयं मूल आवेदक अथवा पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की तिथि से पूर्व पंजीकृत पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर (मुख्त्यारआम) को प्रस्तुत करना होगा, मूल आवंटी की मृत्यु की दशा में उसका नामित (नोमीनी) या विधिक उत्तराधिकारी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। प्रार्थना पत्र पर आवेदक की फोटो लगाना अनिर्वाय होगा।
5. पुनर्जीवन हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार पुनर्जीवन प्रक्रिया शुल्क अदा करना होगा। पुनर्जीवन प्रक्रिया शुल्क के अभाव में प्रार्थना पत्र विचारणीय नही होगा।

(i) आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	–	2000/–
(ii) अल्प आय वर्ग	–	3000/–
(iii) मध्यम आय वर्ग	–	5000/–
(vi) मध्यम आय वर्ग	–	8000/–
(v) उच्च आय वर्ग	–	10000/–

6. पंजीकरण/आवंटन पुर्नजीवन प्रार्थना पत्र के साथ मण्डल में देय उक्त पुनर्जीवन शुल्क किसी भी परिस्थिति में नही लौटाया जायेगा अर्थात यह शुल्क Non-Refundable होगा।
7. जिन प्रकरणों में पूर्वग्रहण राशि की एक भी किश्त जमा नही करवाई गई हो तथा उनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया हो और यदि पंजीयन पुनर्जीवन करने का निर्णय लिया जाता है तो उसकी वरीयता (Priorty), पंजीयन बहाली की तिथि से निर्धारित की जाऐगी।

...3...

216th Board meeting dt. 16.08.2012

8. जिन प्रकरणों में पूर्वग्रहण राशि की एक किश्त भी जमा हो चुकी थी और पंजीकरण/आवंटन निरस्त हो गया है तथा उसे पुर्नजीवित करने का निर्णय लिया जाता है उसकी उसकी वरीयता (Priorty), पूर्ववत् सुनिश्चित की जायेगी, उन सभी प्रकरणो पर लागत वर्तमान वर्ष की ही वसूली जायेंगी।

परन्तुकः— पंजीकरण/आवंटन पुनर्जीवन के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्रों से सम्बन्धित जिन पत्रावलियों पर पूर्व में ही सक्षम स्तर से निरस्त करने का निर्णय किया जा चुका है उन पर इस आदेश के तहत पुनः कोई कार्यवाही उच्चतर स्तर से की जायेगी।

नोटः— प्रक्रिया परिशिष्ट एक के अनुरूप होगी।

(टी. रविकान्त)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. निजी सचिव— अध्यक्ष/आवासन आयुक्त रा0 आ0 मण्डल जयपुर।
2. सचिव/मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार रा0 आ0 मण्डल जयपुर।
3. निदेशक विधि/जन सम्पर्क अधिकारी रा0 आ0 मण्डल जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता — प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पी एण्ड एम/अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रा0 आ0 मण्डल जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत– .... रा0 आ0 मण्डल ....।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड .... रा0 आ0 मण्डल ....।
7. समस्त प्रकोष्ठ (मुख्यालय) रा0 आ0 मण्डल जयपुर।
8. एनालिस्ट कम प्रोगामर, रा0 आ0 मण्डल जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

216th Board meeting dt. 16.08.2012

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

निरस्त पंजीकरण/आवंटन के पुनर्जिवन करने के संबंध में प्रक्रिया

1. आवेंदक द्वारा संबंधित वृत कार्यालय में आवेंदन प्रस्तुत करने पर संबंधित लिपिक द्वारा प्रार्थना पत्र लेते वक्त ही यह जॉच की जावें कि आवेंदन पत्र निर्देशो के अनुरूप पूर्ण हो। यदि आवेदन पत्र में कोई कमी हो तो आवेदक को उसी वक्त सूचित कर पूर्ति करायेंगें।
2. आवेदन पत्र पूर्ण होने पर उसकी प्राप्ति रसीद प्रार्थी को देंगे।
3. ऐसे प्राप्त आवेदन पत्रों का पृथक से रजिस्ट्रर संधारित करेंगें।
4. प्राप्त आवेदन पत्रों से संबंधित पत्रावलीयों की चैक लिस्ट के मुताबिक जॉच कर पत्रावली पर टिप्पणी अंकित करेंगे।
5. उक्त टिप्पणी पर संबंधित उप आवासन आयुक्त अपना स्पष्ट प्रस्ताव/संतुति (Recommendation) देंगे।
6. इसके पश्चात् पत्रावलीयों के पूर्ण होने पर निर्णय हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कार्यालय को भिजवायेंगे। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अपनी टिप्पणी सहित पत्रावली माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेंगे।
7. आवश्यकता होने पर विशेष शिविर लगाकर/प्रार्थीगण को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की जाकर अपेक्षित निर्णय लिया जा सकेंगा।
8. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक समय–समय पर किये गये पुनर्जिवित पंजीकरणो की समीक्षा करेंगे तथा मुख्यालय स्तर पर इन का रिकॉर्ड भी संधारित करेंगे।

आवासन आयुक्त

216th Board meeting dt. 16.08.2012

D/PAS/r

प्रारूप 'क'

राजस्थान आवासन मण्डल, ...

(निरस्त पंजीकरण/आवंटन के पुर्नजीवन हेतु प्रार्थना पत्र)

1. आवेदक का नाम :– .....
2. पिता का नाम :– .....
3. पता :– .....
   .....
4. निरस्त पंजीकरण फार्म संख्या :– .....
5. मूल आवेदक का नाम :– .....
6. वरीयता क्रमांक :– .....
7. योजना/शहर का नाम :– .....
8. यदि का आवंटन हुआ हो तो आवास सं. :– .....
9. निरस्तीकरण का कारण :– .....
   .....
10. निरस्तीकरण की सूचना किस के माध्यम से प्राप्त हुई इसका विवरण :–
    .....
    .....
11. यदि पुर्नजीवन हेतु पूर्व में ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो तो उसका विवरण एवं तिथि :– .....
    .....
12. पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश, दिनांक व संक्षिप्त विवरण .....
    .....
    .....
13. मूल आवेदक की मृत्यु की स्थिति में उसके नांमित (नोमीनी)/उत्तराधिकारी संबंधित विधि मान्य दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें:– .....
    .....
14. आवेदक का मोबाईल नम्बर :– .....
15. दूरभाष नम्बर :– .....
16. पहचान (के.वाई.सी.) हेतु दस्तावेज :– .....
    .....
    .....
    .....
17. पंजीकरण/आवंटन से संबंधित मूल दस्तावेजों की छायाप्रतियां :–
    (1) .....
    (2) .....
    (3) .....

अतः श्रीमान् कृपया मेरा पंजीकरण आवंटन पुनर्जिवित करने की कृपा करें।

आवेदक/प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रारूप 'ख'

निरस्त पंजीकरण/आवंटन के पुर्नजीवन हेतु प्रार्थना पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी.....

..... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेने/मेरे पिता/माता/भ्राता अथवा श्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... के द्वारा आवासन मण्डल की ..... (शहर का नाम) योजना .....में .... आय वर्ग के आवास हेतु पंजीकरण कराया गया था। जो आवासन मण्डल द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उक्त निरस्त पंजीकरण के पुर्नजीवन हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित प्रार्थना पत्र में मेरे द्वारा आवेदन किया गया है जिसमें :–

1. यह कि आवेदिक प्रार्थना पत्र मैं मूल आवेदक/मूल आवेदक की मृत्यु हो जाने के कारण उसका नांमित (नोमीनी)/उत्तराधिकारी/निरस्तीकरण से पूर्व की तिथि का वैध पंजीकृत पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर (मुख्त्यारआम) हूँ।
2. प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्य क्रमांक 1 से 16 सत्य एवं सही है। व इस प्रकरण में पूर्व में पंजीकरण/आवंटन पुनर्जीवन बाबत कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इनमें कोई तथ्य नही छिपाया गया है। यदि कोई तथ्य असत्य एवं गलत पाया जाता है तो मेरे विरूद्व आवासन मण्डल नियमानुसार कानूनी कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी।

हस्ताक्षर
(शपथ ग्रहिता)

सत्यनिष्ठा

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी.....

..... सत्यनिष्ठा से स्वीकार करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य सही एवं सत्य है। इनमें कोई तथ्य नही छिपाया गया है। यदि कोई तथ्य असत्य एवं गलत पाया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा।

आवेदक/प्रार्थी के हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठा

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी..... ..... सत्यनिष्ठा से स्वीकार करता हूँ कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्य क्रमांक 1 से 16 सत्य एवं सही है व इस प्रकरण में पूर्व में पंजीकरण/आवंटन पुनर्जीवन बाबत कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इनमें कोई तथ्य नही छिपाया गया है। यदि कोई तथ्य असत्य एवं गलत पाया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा।

आवेदक/प्रार्थी के हस्ताक्षर

नोटः– यदि पंजीकरण निरस्तीकरण पूर्व की तिथि का वैध पंजीकृत पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर (मुख्त्यारआम) द्वारा आवेदक किया जा रहा है तो वैध पंजीकृत पावर ऑफ अटोर्नी जो कि वर्तमान में प्रभावी हो की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जावें।

राजस्थान आवासन मण्डल, ...

(निरस्त पंजीकरण/आवंटन के पुर्नजीवन हेतु प्रार्थना पत्र)

प्राप्ति – रसीद

श्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी.... ..... से निरस्त पंजीकरण फार्म संख्या .... वरीयता क्रमांक/आवास ..... योजना/शहर का नाम..... के पुर्नजीवन हेतु प्रार्थना पत्र आज दिनांक ....को प्राप्त किया गया।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
कार्यालय की मोहर

...3...

...3...